



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 18.11.2021

1-थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मो०सा० बरामद।

दिनांक 18.11.2021 को थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा दुपहिया वाहन चोर विकास पुत्र मामचन्द्र निवासी ग्राम चचूला थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर को ग्राम कासना जाने वाली मेन रोड पर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की एक स्पलैंडर मोटर साइकिल रजिस्ट्रेशन नम्बर यूपी 16 सीआर 5937 बरामद की गयी है, जिसके सम्बन्ध में थाना रबूपुरा पर मु०अ०सं० 280/2021 धारा 379 भादवि पंजीकृत है।

अभियुक्त का विवरण:

विकास पुत्र माम चन्द्र निवासी ग्राम चचूला थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण:

1.मु०अ०सं० 1053/2021 धारा 411 भादवि थाना बीटा-2 ग्रे०नो० गौतमबुद्धनगर

2.मु०अ०सं० 280/2021 धारा 379 भादवि थाना रबूपुरा ग्रे०नो० गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण:

एक मो०सा० स्पलैंडर यूपी 16 सीआर 5937



2-थाना ए.एच.टी.यू. पुलिस टीम गौतमबुद्धनगर द्वारा ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से अनैतिक देह व्यापार कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे में घटना में प्रयुक्त 03 मोबाइल फोन व 3500 रूपये नगद बरामद।

दिनांक 18.11.2021 को सहायक पुलिस आयुक्त-तृतीय नोएडा के नेतृत्व में ए.एच.टी.यू. पुलिस टीम द्वारा ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से अनैतिक देह व्यापार कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 03 अभियुक्त 1. अनुराग पुत्र इंद्रजीत निवासी कुरारा, थाना कुरारा, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश, 2. दानवेन्द्र पुत्र बृज बिहारी निवासी ग्राम कुरारा, थाना कुरारा, जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश, 3. शैलेंद्र यादव पुत्र प्रमोद सिंह यादव निवासी ग्राम गेबर्ट, थाना उमरी, जिला भिंड, मध्य प्रदेश को थाना सेक्टर-49 क्षेत्र के क्राउन स्टे गेस्ट हाउस, सेक्टर-49 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 03 मोबाइल फोन व 3500 रूपये नगद बरामद हुए है।

अपराध करने का तरीका:

अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग गूगल साईट व व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जनता के लोगों से बात करते हैं। डील होने पर हम लोग लड़कियों के माध्यम से अनैतिक देह व्यापार चलाते हैं व उनसे 3000 रूपये प्रति ग्राहक तक वसूली की जाती थी। जिसमें से 1000 रूपये लड़कियों को प्रति ग्राहक दिया जाता था।

अभियुक्तों का विवरण:

1. अनुराग पुत्र इंद्रजीत निवासी कुरारा थाना कुरारा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश।
2. दानवेन्द्र पुत्र बृज बिहारी निवासी ग्राम कुरारा थाना कुरारा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश।
3. शैलेंद्र यादव पुत्र प्रमोद सिंह यादव निवासी ग्राम गेबर्ट थाना उमरी जिला भिंड मध्य प्रदेश।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 1077/2021 धारा 370(ए) भा.द.वि. व 3/4/5 अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956 थाना सेक्टर-49 नोएडा।

बरामदगी का विवरण:

घटना में प्रयुक्त 03 मोबाइल फोन व 3500 रूपये नगद।



#दिनांक 17.11.2021 को विशेष न्यायालय पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर के आदेशानुसार गुंडा अधिनियम के 11 अपराधियों को किया गया जिला बदर।

पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में पुलिस कमिश्नरेट के समस्त पुलिस अधिकारियों द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपराधियों के विरुद्ध निरंतर स्तर पर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इस कड़ी में दिनांक 17.11.2021 को विशेष न्यायालय पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर द्वारा 11 अपराधियों 1. जोखिर पुत्र यासीन 2. रोबिन नायक पुत्र चन्द्रपाल 3. गुरमीत पुत्र दिलीप 4. रंजीत पुत्र लखपत 5. राकेश पुत्र मांगे 6.जग्गी पुत्र हरपाल 7.जसवन्त पुत्र दिलीप 8. अमरीक पुत्र दिलीप 9.सरजीत पुत्र दिलीप 10. मनोज पुत्र परमा 11. सुनील पुत्र हरपाल, को कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की सीमा से जिला बदर किया गया, सभी अपराधी गुंडा अधिनियम से सम्बन्धित हैं।

पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपराधियों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की कड़ी कार्यवाही निरंतर स्तर पर जारी रहेगी ।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान तृतीय के तहत कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा एवं महिला एवं बाल अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की जा रही है गहन कार्यवाही

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में गौतमबुद्धनगर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारी श्री नीटू विश्रोई के द्वारा महिला एवं बाल सम्बन्धित अपराध में गहन पैरवी करने के फलस्वरूप अभियुक्त अजय उर्फ भुल्लन पुत्र शिवाजी शर्मा निवासी चिपियाना खुर्द तिगरी, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर को माननीय न्यायालय एडीजे /स्पेशल पोक्सो-1 गौतमबुद्धनगर श्री निरंजन कुमार द्वारा आजीवन कारावास एवं 50,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा न करने पर 02 वर्ष 11 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान तृतीय के अन्तर्गत पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर आलोक सिंह के निर्देशन में अभियोजन अधिकारी श्री नीटू विश्रोई की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मु0अ0सं0 83/2016 धारा 452, 302, 326 भादवि व 10 पाँक्सो अधिनियम थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर में आज दिनांक 18/11/2021 को माननीय न्यायालय एडीजे/ स्पेशल पोक्सो-1 द्वारा अभियुक्त अजय उर्फ भुल्लन पुत्र शिवाजी शर्मा निवासी चिपियाना खुर्द तिगरी, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर को माननीय न्यायालय एडीजे/स्पेशल पोक्सो-1 श्री निरंजन कुमार द्वारा आजीवन कारावास एवं 50,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा न करने पर 02 वर्ष 11 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा होगा।

मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी के कारण लगातार अभियुक्तों को सजा दिलायी जा रही है। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।